दिल्ली विघान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार 28 जनवरी , 2005 / माघ 8, 1926 (शक)

संख्याः 76

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त (जिला नई दिल्ली)से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री हर्षवर्द्धन और श्री रमेश बिघुड़ी को उनके समर्थको सहित दिनांक 20.01.05 को अपराहन 12.25 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली के सामने प्रथम बैरिकेड्स से नजरबंन्द किया गया ।

उन्हे, उनके समर्थकों सहित, उसी दिन अर्थात दिनांक 20.01.05 को अपराह्न 1.00 बजे पुलिस थाना संसद मार्ग से रिहा किया गया ।"

सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT **BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters) Friday, 28th January, 2005/8, Magha 1926 (Saka)

No. 76

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Dy. Commissioner of Police, New Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Harshvardhan and Shri Ramesh Bidhuri, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at the first barricades in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 12.25 P.M on 20.01.05.

They alongwith their supporters were released at 1.00 P.M. from Police Station, Parliament Street on the same day i.e. 20.01.05."

> SIDDHARATH RAO SECRETARY